

फर्द अहकाम

जिदग्यारी

बनाम राजबहादुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झापुर

संख्या प्राप्तर क्र 138/2020 का.प्र. परचरगरी 128 L.R.A.P अनुभाग

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25/1/25	<p>परिचय, उत्तर दिये में जो खसरा नम्बर वाले हुए हैं उन खसरा नम्बरों के (जोड़ों के) परचरगरी नहीं बनाये जाते हैं उनके कुने (दिना) परचरगरी के मोदक नहीं लिखे जा सकेंगे। वकील स्याही ने दायरे कुनी पेश करते हुए प्रस्तावत माली के नामों दिनाओं में पेशी हुई कृषि वैवाजिक रिपोर्ट की प्रतियां भी पेश करते हुए जादित किया कि पशोमी खसराओं के प्रचरगरी नहीं बनाने से परचरगरी के मोदक परित नहीं किया जा सका है।</p> <p>हमने फायली का न. नमोकर किना तथा वकील उमर पशोमी बहादुर पर मनन किना एवं काबुल की मंगल देखी (डी) काबी ने मपनी खसराओं की कि किना सीमायन पूर्व में किना 1/1/25 को किना जा चुका है कि स्याही की कि किना है परचरगरी पेश किना है कि किना का कि किना की परचरगरी वाकने हेर खोफ पेश किना का है उनके पशोमी खसराओं के प्रचरगरी नहीं बनाने का है तथा पशोमी खसराओं के परचरगरी बनाने एवं उनके कुने किना परचरगरी के मोदक परित किना जाका उचित परित नहीं होरा है। उदरगरी वकील स्याही की बहादुर पूर्व में से पशोमी मोना साहस होरी है।</p> <p>महा. काबी का उद्योग पर काबुल परचरगरी का उपरोक्त विवेकन के ताव्यार पर पशोमी खसराओं के प्रचरगरी नहीं बनाने जाते से मन्तर प्रोत्सनीय नहीं होरे से कि किना जाका है। पशोमी के काबुल होरा दायरे दायरे है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
झापुर (जगापुर)